## पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर भालेरी

**अनुवान उल्लास स्वामी बनाम राजस्थान सरकार**

**प्रार्थना–पत्र संख्या –845/2025**

**निर्णय दिनांक ....02/07/25....**

उल्लास स्वामी पुत्र भंवरलाल जाति स्वामी निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>**

**–::निर्णय::–**

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर भालेरी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 63 खसरा नं. 118 तादादी 7.5364 हैक्ट., खसरा नं. 210 तादादी 3.1107 हैक्ट., खसरा नं. 230/210 तादादी 1.2898 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम रैताना में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम हौलास दर्ज है जो कि गलत है सही नाम उल्लास स्वामी है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम उल्लास स्वामी किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम रैताना तहसील तारानगर के खाता संख्या 63 खसरा नं. 118 तादादी 7.5364 हैक्ट., खसरा नं. 210 तादादी 3.1107 हैक्ट., खसरा नं. 230/210 तादादी 1.2898 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम हौलास Delete कर इसके स्थान पर उल्लास स्वामी अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....02/07/25.... को कैम्प कोर्ट भालेरी में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)